न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 184/2016/डिक्री

सैफुदीन पिता न्याज मोहम्मद मृतक के बजाय –
1. मोहम्मद रफी पिता सैफुदीन
2. मंजूर हूसैन पिता सैफुदीन
3. चांद बी पुत्री सैफुदीन
4. शेरो बी पुत्री सैफुदीन
5. जोहरा बी पत्नि सैफुदीन
सभी निवासी बारी दरवाजा प्रतापगढ जिला प्रतापगढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. राज्य जरिये तहसीलदार, प्रतापगढ़
2. जिला वन अधिकारी प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़
दिनांक 08.06.2016 प्रकरण सं. 92/2009

उपस्थित – 1. श्री चंदनमल जणवा – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक– 02.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण के पूर्वज श्री न्याज मोहम्मद पिता जोहर मोहम्मद मुसलमान निवासी प्रतापगढ के स्वामित्व व आधिपत्य एवं रेवेन्यु खाते मे गांव टीमरवा खेडा तहसील व जिला प्रतापगढ मे पुरानी आराजी नम्बर 71 रकबा 48 बीघा 8 बिस्वा व पुरानी आराजी नम्बर 72 रकबा 65 बीघा दर्ज रही है जिसका संवत् 2002 की जमाबन्दी मे दर्ज है। उपरोक्त

पुराने आराजी नम्बर के नये नम्बर 84–85–98–99–100–101–102–103–104–105–85/447–105/451–97/457–104/4 65 व 84/466 बने है। सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट वालो ने बिना किसी अधिकार के उक्त नये आराजी नम्बरान मे से आराजी नम्बर 99 रकबा 3.75 है0 व आराजी नम्बर 100 रकबा 8.17 है0 रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी क्रमांक 2 के नाम तथा आराजी नम्बर 104 रकबा 0.39 है0 व आराजी नम्बर 105 रकबा 1.58 है. बिलानाम दर्ज कर दिये गये है जबकि सेटलमेन्ट वालो को ऐसा करने काा कोई अधिकार नही था और न वादी को सुना। वादीगण के पिता का देहान्त हो चुका है और उनके पष्चात् वादीगण खातेदार काष्तकार है। उक्त नये नम्बर 99–100–104 व 105 वादीगण अपने नाम रेवेन्यु रिकार्ड मे दर्ज कराने के लिये एक वादी बाबत् घोषणा एवं दुरूस्त कराये जाने रेकार्ड विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा वाद माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई बाद तलबी प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया।

2. वादीगण की ओर से पीडब्ल्यु 1 सैफदीन, पीडब्ल्यु 2 रूस्तम के बयान लेखबद्ध कराने और दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्ष–1 खतौनी गांव टीमरवा संवत् 2002 प्रदर्ष 2 जमाबन्दी संवत् 2011 से 2013, प्रदर्ष 3 मिलानषीट प्रदर्ष 4 जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 प्रदर्ष 5 जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 प्रदर्ष 6 नोटिस धारा 80 सीपीसी का प्रदर्ष–7 व 8 प्राप्ति रसीद प्रस्तुत कर प्रदर्षित करवावे। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई और न ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रदर्षित करवायी गई। दोनो पक्षो की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद आंषिक रूप से स्वीकार कर गांव टीमरवा खेडी की आराजी नम्बर 104 व 105 का वादीगण को खातेदार काष्तकार घोषित किया गया और आराजी नम्बर 99 व 100 के बाबत् वादीगण द्वारा चाही गई इमदाद खारीज की गई। जिससे नाराज

होकर यह अपील प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मे वर्णित तथ्यो एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के पष्चात् सहमति का जवाब प्रस्तुत किया है इससे स्पष्ट होता है कि आराजी नम्बर 99 व 100 वादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर नही कर आंषिक रूप से आराजी नम्बर 99 व 100 के संदर्भ मे जो निर्णय किया है व विधि के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् पटवार हल्का मनोहरगढ से रिपोर्ट तलब की गई। पटवार हल्का मनोहगढ द्वारा दिनांक 04/06/2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत गई जिसमे पटवार हल्का द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा होना दर्षाया है अर्थात् आराजी नम्बर 99 व 100 पर कब्जा वादीगण का माना गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा व तनकी नम्बर 3 के सम्बन्ध मे कोई मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। तनकी नम्बर 1 व 2 वादीगण के पक्ष मे व तनकी नम्बर 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की गई जिससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय वादग्रस्त आराजीयात वादीगण व इनके पूर्वजो के स्वामित्व आधिपत्य की रही है। पटवार रिपोर्ट हल्का द्वारा भी आधिपत्य वादीगण का होना बताया गया है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गांव टीमरवा पटवार हल्का मनोहगढ तहसील व जिला प्रतापगढ राज. की आराजी नम्बर 99 रकबा 3.75 है0 व आराजी नम्बर 100 रकबा 8.17 है0 बाबत् जो निर्णय प्रदान किया है वह निर्णय निरस्त किया जाकर वादीगण/अपीलान्टस के नाम घोषित की जाकर रेवेन्यु रिकार्ड मे अपीलान्टस के नाम दर्ज किये जाने बाबत् आदेष प्रदान करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि आराजी नम्बर 71 व 72 सन् 2002 मे अपीलान्ट के पिताजी के नाम खातेदारी व कब्जा काष्त दर्ज थी। सेटलमेन्ट के दौरान अपीलान्ट का नाम हटा दिया गया एवं इसमे से खसरा नम्बर 104 तथा 105 बिलानाम तथा खसरा नम्बर 99 एवं 100 वन विभाग के नाम दर्ज हो गई। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद के पैरा नम्बर 2 के आधार पर दौराने वाद

रिपोर्ट मंगाई गई जो दिनांक 04/06/2016 को प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ 49 पर उपलब्ध है। तहसीलदार /भूमिधारी की सहमति का जवाब दिनांक 03/01/2011 को प्राप्त हुआ तथा वन विभाग का जवाब दिनांक 25/02/2011 को प्राप्त हुआ जिसमे वन विभाग द्वारा उल्लेख किया गया कि एक बार भूमि वन विभाग के नाम दर्ज हो जाने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को उसकी खातेदारी नही दी जा सकती है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिलानाम भूमि खसरा नम्बर 104 तथा 105 की खातेदारी देते हुए वाद आंषिक रूप से डिक्री कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 99 तथा 100 के सम्बन्ध मे क्लेम खारीज कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 99 तथा 100 की खातेदारी नही दी गई जो विधिसम्मत नही है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का खसरा नम्बर 99 तथा 100 से सम्बन्धित निर्णय खारीज किया जावे। उन्होने ने अपने हक मे आरआरडी 1994 पेज 761 तथा आरआरडी 1996 पेज 457 की नजीरे पेष की है।

4. दौराने बहस राजकीय अभिभाषक ने बयान किया कि वन विभाग के परिपत्र दिनांक 25/05/1971 के अनुसार वन विभाग के नाम दर्ज भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी नही दी जा सकती है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 99 व 100 पर अपीलान्ट का कब्जा नही माना गया है बल्कि उक्त भूमि पर वन विभाग का कब्जा बताया गया है। इसके अलावा मौके पर भूमि पडत बताई गई तथा कृषि कार्य नही होना उल्लेखित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आंषिक डिक्री विधिसम्मत होने के कारण अपीलार्थी की अपील खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वन विभाग के नाम भूमि की खातेदारी होने के कारण खसरा नम्बर

99 एवं 100 की खातेदारी का प्रकरण खारीज किया गया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही पाई जाती है। क्योकि वन विभाग के नाम दर्ज भूमि की खातेदारी किसी अन्य को नही दी जा सकती है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा पारित प्रकरण संख्या 92/2009 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08/06/2016 यथावत रखा जाता है । निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़